

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.10(7)नवि/3/2009पार्ट-3

जयपुर दिनांक 22 JUN 2017

आदेश

रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा संस्थापन/स्थापना (Defence Establishments/Installations) के निकट स्थानीय मिलिट्री ऑथोरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के संबंध में दिनांक 21.10.2016 को गाईडलाईन्स जारी की गयी है। उक्त गाईडलाईन्स में रक्षा संस्थापन/स्थापना के निकट भवन निर्माण हेतु मिलिट्री ऑथोरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लिये जाने हेतु 193 स्टेशन्स को पार्ट-ए व 149 स्टेशन्स को पार्ट-बी में सम्मिलित किया गया है। राजस्थान राज्य के उक्त सूचियों में चिन्हित शहरों में निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है :-

1. पार्ट-ए में चिन्हित माउन्ट आबू, अजमेर, नसीराबाद, जलीपा, जोधपुर, बीकानेर, सुरतगढ़, अलवर, भरतपुर व कोटा शहरों में रक्षा संस्थापनाओं/स्थापनाओं की बाहरी सीमा से 10 मीटर तक की दूरी में किसी भी निर्माण अथवा मरम्मत की स्वीकृति से पूर्व स्थानीय मिलिट्री ऑथोरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लिया जाना आवश्यक है। रक्षा संस्थापनाओं/स्थापनाओं की बाहरी सीमा से 10 मीटर से अधिक दूरी होने पर स्थानीय मिलिट्री ऑथोरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

2. पार्ट-बी में राजस्थान राज्य की कोई रक्षा संस्थापना सम्मिलित नहीं है।

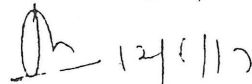
इस संबंध में राजस्थान सरकार से अनुमोदन पश्चात् निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :-

अ. राज्य के सभी शहरों के प्रचलित भवन विनियमों में से आर्मी केन्टोनमेन्ट एरिया की सीमा से 500 मीटर तक की परिधि के लिये निर्धारित प्रावधानों को विलोपित किया जावे।

ब. माउन्ट आबू, अजमेर, नसीराबाद, जलीपा, जोधपुर, बीकानेर, सुरतगढ़, अलवर, भरतपुर व कोटा शहरों/कस्बों में प्रचलित भवन विनियमों के उपरोक्तानुसार विलोपित प्रावधान के स्थान पर निम्न प्रावधान सम्मिलित किये जावे :-

“रक्षा संस्थापनाओं/स्थापनाओं की बाहरी सीमा से 10 मीटर तक की दूरी में किसी भी निर्माण अथवा मरम्मत की स्वीकृति से पूर्व स्थानीय मिलिट्री ऑथोरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त होने पर ही भवन निर्माण/मरम्मत की स्वीकृति दी जावे, इससे अधिक दूरी होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी तथा भवन विनियमों के प्रावधानानुसार निर्माण स्वीकृति दी जा सकेगी। अन्य नगरीय क्षेत्रों में प्रचलित भवन विनियमों के अनुरूप निर्माण स्वीकृति दी जा सकेगी। इन नगरीय क्षेत्रों में उक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे।”

राज्यपाल की आज्ञा से,



(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम